न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर
बइजलास दिव्या आर.ए.एस.
अनुवान भोपालसिंह आदि बनाम गुमानसिंह आदि
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0 का0 अधि0 1955
प्रार्थना पत्र सं. 61 / 2024
निर्णय दिनांक 02/07/2025

1. भोपालसिंह पुत्र जीवराज सिंह जाति राजपूत निवासी मेहरासर चाचेरा तहसील सरदारशहर जिला चूरू
2. भंवरसिंह पुत्र जीवराज सिंह जाति राजपूत निवासी मेहरासर चाचेरा तहसील सरदारशहर जिला चूरू
3. राजपालसिंह पुत्र जीवराज सिंह जाति राजपूत निवासी मेहरासर चाचेरा तहसील सरदारशहर जिला चूरू

— प्रार्थीगण

बनाम्

1. गुमानसिंह पुत्र कालूसिंह जाति जाति राजपूत निवासी मेहरासर चाचेरा तहसील सरदारशहर जिला चूरू
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं पदेन उपपंजीयक सरदारशहर (चूरू)

— अप्रार्थीगण

उपस्थिति:

1. श्री महावीर प्रसाद नेहरा एडवोकेट प्रार्थीगण
2. श्री दिलीप सिंह पंवार एडवोकेट वास्ते अप्रार्थी सं. 1
3. पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी सं0 2

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार से है प्रार्थीगण के दादा एवं अप्रार्थी सं० 1 के पिता स्व. कालूसिंह वल्द आसुसिंह कौम राजपूत साकिन मेहरासर चाचेरा के नाम से खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0नं0 105 तादादी 13 बीघा 8 बिश्वा, ख०नं० 120 तादादी 7 बीघा 4 बिश्वा, ख0नं0 169 तादादी 26 बीघा 15 बिश्वा, ख०नं० 179 तादादी 11 बीघा, ख0नं0 250 तादादी 22 बीघा 13 बिश्वा, ख0नं0 326 तादादी 17 बीघा 16 बिश्वा, ख0नं0 60 तादादी 54 बीघा 12 बिश्वा, ख०नं० 62 तादादी 15 बीघा 15 बिश्वा, ख०नं० 83 तादादी 14 बीघा 16 बिश्वा कुल खसरे 9 कुल तादादी 183 बीघा 19 विश्वा रोही मौजा मेहरासर चाचेरा तहसील सरदारशहर में स्थित थी। इस प्रकार वादगत कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं० 1 की संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक कृषि भूमि रही है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

प्रार्थीगण के दादा स्व० कालूसिंह के स्वर्गवास के बाद वादगत कृषि भूमि का जरिये विरास्तन नामान्तरण सं० 33 दिनाक 15.10.1967 के द्वारा प्रार्थीगण के पिता जीवराजसिंह व अप्रार्थी सं० 1 के नाम से ब०हि०ब० राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। उसके बाद प्रार्थीगण के पिता एवं अप्रार्थी सं० 1 के मध्य आपसी सहमति वादगत कृषि भूमि का खाता विभाजन किया गया। खाता विभाजन का नामान्तरण सं० 114 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। खाता विभाजन के अनुसार ख०नं० 60 तादादी 54 बीघा 12 बिश्वा, ख0नं0 62 तादादी 15 बीघा 15 बिश्वा, ख०नं० 326 तादादी 17 बीघा 16 बिश्वा प्रार्थीगण के पिता जीवराजसिंह के हिस्से में आई और ख०नं० 83 तादादी 14 बीघा 16 बिश्वा, ख०नं० 105 तादादी

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

13 बीघा 8 बिश्वा, ख०नं० 120 तादादी 7 बीघा 4 विश्वा, ख०नं० 250 तादादी 22 बीघा 13 बिश्वा, ख०नं० 169 तादादी 26 बीघा 15 बिश्वा, ख०नं० 179 तादादी 11 बीघा अप्रार्थी सं० 1 के हिस्से में कुल तादादी 95 बीघा 16 बिश्वा आई। प्रार्थीगण के पिता जीवराजसिंह अनपढ व भोले भाले किस्म के व्यक्ति थे। और अप्रार्थी सं० 1 चतुर व चालाक किस्म का व्यक्ति है जिसने तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर प्रार्थीगण के पिता के हिस्से में आई कृषि भूमि ख0नं0 326 तादादी 17 बीघा 16 बिश्वा कृ षि भूमि को शामलाती राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा ली। परन्तु कृषि भूमि ख०नं० 326 तादादी 17 बीघा 16 बिश्वा प्रार्थीगण के पिता जीवराज सिंह के कब्जे काश्त में लगातार चली आ रही थी और उनके स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थीगण कृषि भूमि ख०नं० 326 तादादी 17 बीघा 16 बिश्वा पर लगातार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

वादगत कृषि भूमि कुल खसरे 9 तादादी 183 बीघा 19 बिश्वा भूमि स्व० कालूसिंह के खातेदारी व कब्जा काश्त की रही है। जो विरास्तन प्रार्थीगण के पिता जीवराज सिंह व अप्रार्थी सं० 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में ब०हि०ब० दर्ज हुई। पैतृक विरास्तन हक हिस्से अनुसार वादगत कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात लगभग 92 बीघा कृषि भूमि प्रत्येक के हिस्से आनी चाहिये थी। परन्तु जगीन की किस्म के अनुसार प्रार्थीगण के पिता जीवराजसिंह के हिस्से में आपसी सहमति से ख०नं० 60, 62 की कुल 70 बीघा 7 बिश्वा कृषि भूमि व ख०नं० 326 की 17 बीघा 16 बिश्वा कुल 88 बीघा 3 बिश्वा कृषि भूमि रखी गई थी तथा अप्रार्थी सं० 1 के हिस्से में 95 बीघा 16 बिश्वा कृषि भूमि हिस्से में रखी गई थी। परन्तु अप्रार्थी सं० 1 ने विभाजन के समय चालाकी से प्रार्थीगण के पिता जीवराजसिंह के अनपढ़ व भोलेपन का फायदा उठाकर कृषि भूमि ख0नं0 326 तादादी 17 बीघा 16 बिश्वा को शामलाती रख ली और बाद में उक्त कृषि भूमि का विभाजन करवाकर 8 बीघा 18 बिश्वा कृषि भूमि अप्रार्थी सं० 1 ने अपने नाम दर्ज करवा ली। इस प्रकार अप्रार्थी सं० 1 के हिस्से में 104 बीघा 14 बिश्वा कृषि भूमि गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

वादगत कृषि भूमि गत ख०नं० 326 तादादी 17 बीघा 16 बिश्वा जिसके वर्तमान ख0नं0 209 तादादी 2.25 हैक्टेयर, ख0नं0 210 तादादी 2.25 हैक्टेयर पर प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त है और प्रार्थीगण ही अपने पिता के जीवनकाल से लगातार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं० 1 ने गलत रूप से वादगत कृषि भूमि गत ख0नं0 326 का गलत रूप से खाता विभाजन का नामान्तरण सं० 263 दर्ज करवाकर 8 बीघा 18 बिश्वा कृषि भूमि अपने नाम से दर्ज करवा ली। जिसका नया ख0नं0 441/326 तादादी 8 बीघा 18 विश्वा अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं० 1 ने दर्ज करवा ली तथा ख०नं0 442/326 तादादी 8 बीघा 18 बिश्वा प्रार्थीगण के पिता जीवराजसिंह के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाई। जबकि मौके पर इस खसरे की कृषि भूमि का कोई खाता विभाजन नहीं हुआ है और ना ही इस कृषि भूमि के मध्य कोई सीमाचिन्ह कायम हुए। इस कृषि भूमि को प्रार्थीगण लगातार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। सदामत से लगातार कब्जा काश्त के आधार पर प्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि गत ख0नं0 326 तादादी 17 बीघा 16 बिश्वा के काबिज काश्तकार खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है और गत ख0नं0 326 तादादी 17 बीघा 16 बिश्वा वर्तमान ख0नं0 209 व 210 तादादी क्रमशः 2.2500, 2.2500 हैक्टेयर के प्रार्थीगण काबिज काश्तकार खातेदार है और वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाकर प्रार्थीगण अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करवाना चाहते है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

अप्रार्थी सं० 1 वादगत कृषि भूमि का गलत रूप से अपने करवाये गये पर राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रार्थीगण को उसके हक हिस्से वंचित कर कब्जा काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा वादगत कृषि भूमि को अन्य किसी दीगर शख्स को रहन बैय मुंतकिल कर प्रार्थीगण को ताकत के बल पर कब्जा काश्त से बेदखल कर उनके हक हिस्से से वंचित करना चाहते है। यदि अप्रार्थी सं० 1 अपने अवैध कृत्यों में कामयाब हो गया तो वाद बाहुल्यता बढ़ेगी तथा प्रार्थीगण को भारी असुविधा एवं कभी पूरा न होने वाला नुकसान होगा। इसलिए प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है। कि वह अप्रार्थी सं० 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित करावे कि वोह वादगत कृषि भूमि को विक्रय, स्थानान्तरण, बैय, मुन्तकिल, रहन न करे। अप्रार्थी सं० 2 राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद ना करे और नामान्तरण दर्ज तस्दीक नहीं करे।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दौराने विचारण दावा अप्रार्थीगण सं० 1 ता 4 को वर्जित किया जावे वो वादगत कृषि भूमि ख० नं0 326 तादादी 17 बीघा 16 बिश्वा हाल ख0नं0 209 व 210 रकबा क्रमशः 2.25–2.25 हैक्टेयर, रोही मौजा मेहरासर चाचेरा तहसील सरदारशहर को अन्य किसी दिगर शख्स अथवा बैंक आदि के बैय, रहन, विक्रय, दान, वसीयत आदि नहीं करे, प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे, मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे और ना ही ऐसा कार्य व उपकार्य करे व करवाये जिससे प्रार्थीगण के विरास्तन कानूनी हक व हिस्से पर विपरीत असर पड़े तथा अप्रार्थी सं० 2 को पाबन्द किया जावे कि वोह वादगत कृषि भूमि से सम्बन्धित विक्रय पत्र, रहननामा आदि दस्तावेज पंजीयन नहीं करे और उक्त रहननामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज तस्दीक नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सशुल्क तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब करने का आदेश पारित किया गया जिस पर अप्रार्थी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह पंवार ने वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र निम्नानुसार पेश किया कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में मूल वाद न्यायालय हाजा में पेश करने के तथ्य सही है शेष तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर प्रस्तुत होने के कारण सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 मे उल्लेखित खातेदारी रिकॉर्ड संबधित तथ्य स्वीकार है, शेष तथ्य गलत अंकित होने से अस्वीकार है। वाद पत्र की मद सं. 3 में उल्लेखित खातेदारी रिकॉर्ड संबंध तथ्य सही होने से स्वीकार है, शेष तथ्य जिस प्रकार अंकित है, अस्वीकार है। प्रार्थीगण के पिता जीवराजसिंह व अप्रार्थी संख्या 1 गुमानसिंह दोनों सगे भाई थे, जो स्व. कालूसिंह के जायज वारिस थे। वादगत कृषि भूमि का खाता विभाजन प्रार्थीगण के पिता जीवराजसिंह व अप्रार्थी संख्या 1 गुमानसिंह द्वारा आपसी सहमति से एवं परस्पर विचार विमर्श कर एवं हल्का पटवारी की राय के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया था एवं इसी विभाजन प्रस्ताव के आधार पर खाता विभाजन का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिस पर प्रार्थीगण के पिता जीवराजसिंह व अप्रार्थी संख्या 1 गुमानसिंह ने आवेदक के रूप में हस्ताक्षर किये थे एवं साथ ही इस विभाजन प्रस्ताव एवं प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपने अपने शपथ पत्र भी पेश किये गये थे। तहसीलदार सरदारशहर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर हल्का पटवारी एवं गिरदावर को विभाजन प्रस्ताव की मौका रिपोर्ट बनाने का आदेश दिया एवं इसी आदेशानुसार हल्का पटवारी एवं गिरदावर द्वारा मौका रिपोर्ट के अनुसार विभाजन को सही मानते हुए अपनी रिपोर्ट पेश की। जिसके पश्चात तहसीलदार सरदारशहर द्वारा प्रार्थीगण के पिता जीवराजसिंह व अप्रार्थी गुमानसिंह की मौखिक रूप से सुनवाई करते हुए विभाजन प्रस्ताव व प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विभाजन किये जाने के आदेश दिये, जिसके आधार पर हल्का पटवारी द्वारा जरीये नामान्तरण सख्या 114 वादगत भूमि का प्रार्थीगण के पिता जीवराजसिंह व अप्रार्थी गुमानसिंह के मध्य विभाजन हुआ। इस विभाजन के परिणामस्वरूप दोनों भाई अपने अपने हिस्से में आई भूमि पर काबिज काश्तकार हुए। दोनों

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

भाईयों ने अपने हिस्से में आई हुई भूमि पर पुख्ता सींव बनाकर अपना कब्जा काश्त कायम रखा। प्रार्थना पत्र की इस मद में प्रार्थीगण का उक्त कथन कि उनके पिता अनपढ व भोले भोले व्यक्ति थे तथा अप्रार्थी संख्या 1 चतुर व चालाक किश्म का व्यक्ति था, गलत व झूठ अंकित किया गया है। दोनों भाई सीधे साधे इमानदार व्यक्ति थे एवं दोनों के मध्य आपसी प्रेम व भाईचारा था। चूंकि उपरोक्त विभाजन करते समय प्रार्थीगण की दादी और अप्रार्थी संख्या 1 की माता जीवित थी ऐसी स्थिति में उनकी सेवा चाकरी करने की गुरेज से खेत खसरा नं. 326 तादादी 17 बीघा 16 बिस्वा भूमि रोही मेहरासर चाचेरा का विभाजन नहीं किया गया और दोनों भाईयों ने यह तय किया कि जब तब हमारी माता जीवित है तब तक उक्त खसरा नं. 326 की भूमि का कब्जा व स्वामित्व उनकी माता के पास रहेगा एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात दोनों भाईयों द्वारा विधिवत रूप से बंटवारा कर लिया जावेगा। इस खसरा भूमि पर उनकी माता के जीवित रहने तक जीवराजसिंह का कभी भी कब्जा नहीं रहा एवं माता के स्वर्गवास के पश्चात दोनों भाईयों के द्वारा बहिस्सा बराबर उक्त भूमि का विभाजन कर लिया गया एवं दोंनों भाई उक्त भूमि पर बहिस्सा बराबर काबिज काश्तकार हुए। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन का सिद्धांत किसी भी रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है, बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है।

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 4 में अंकित खातेदारी रिकॉर्ड संबंधी तथ्य स्वीकार है, शेष तथ्य अस्वीकार है। यह कहना सही है कि वादगत सम्पूर्ण कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता जीवराजसिंह व अप्रार्थी संख्या 1 गुमानसिंह के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज थी, लेकिन जमीन की किश्म, लगान एवं उपजाऊ के आधार पर जब खाता विभाजन किया गया तब उक्त सम्पूर्ण वादगत भूमियों में से प्रार्थीगण के पिता जीवराजसिंह के पक्ष में 70 बीघा 07 बिस्वा भूमि व अप्रार्थी संख्या 1 गुमानसिंह के हिस्से में 95 बीघा 16 बिस्वा भूमि जरीये विभाजन नामान्तरण संख्या 114 के आधार पर दर्ज एवं तस्दीक हुई एवं इस विभाजन के पश्चात दोनों भाई अपने अपने हिस्से पांती में आई भूमि पर काबिज काश्तकार हुए एवं दोनों भाईयों ने आपसी सहमति से खेत खसरा नं. 326 तादादी 17 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर संयुक्त रूप से खातेदारी व कब्जा काश्तकारी रखी गई एवं इसके पश्चात कालान्तर में दोनों भाईयों द्वारा आपसी सहमति से जरीये विभाजन नामान्तरण संख्या 263 दिनांक 16.10.2001 के आधार पर उक्त भूमि खसरा नं 326 तादादी 17 बीघा 16 बिस्वा रोही मेहरासर चाचेरा का विधिवत रूप से विभाजन कर लिया। जिसके आधार पर प्रार्थीगण के पिता के नाम उक्त विभाजन नामान्तरण संख्या 263 के आधार पर खसरा नं 442/326 तादादी 8.18 बीघा बारानी अब्बल वर्तमान खसरा नं. 210 तादादी 2.25 हैक्टेयर रोही मेहरासर चाचेरा में दर्ज एवं तस्दीक हुई एवं इसी नामान्तरण संख्या 263 के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 गुमानसिंह के हिस्से में खेत खसरा नं. 441/326 तादादी 8.18 बीघा बारानी अव्वल वर्तमान खसरा नं. 209 तादादी 2.25 हैक्टेयर भूमि दर्ज एवं तस्दीक हुई। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन का सिद्धांत किसी भी रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है, बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 5 जिस प्रकार अंकित है, गलत एवं मनगढंत होने से अस्वीकार है। वादगत कृषि भूमि पुराना खसरा संख्या 326 तादादी 17 बीघा 16 बिस्वा जरीये विभाजन नामान्तरण संख्या 263 दिनांक 16.10.2001 के आधार पर प्रार्थीगण के पिता जीवराजसिंह व अप्रार्थी संख्या 1 गुमानसिंह के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज एवं तस्दीक हुई, इस विभाजन के पश्चात नये खसरा भूमि के रूप में प्रार्थीगण के पिता जीवराजसिंह के खसरा नं. 210 तादादी 2.25 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 1 गुमानसिंह के खसरा नं. 209 तादादी 2.25 हैक्टेयर दर्ज एवं तस्दीक हुई। दोनों भाई अपने अपने हिस्से पर निर्विवाद रूप से काबिज काश्तकार हुए। दोनों भाईयों द्वारा अपने अपने हिस्से भूमि पर निर्विवाद रूप से पुख्ता सींव बनाकर अपना कब्जा ताईद कर रखा था। कालान्तर में प्रार्थीगण के पिता एवं रिकॉर्डेड खातेदार जीवराजसिंह के स्वर्गवास के पश्चात उनके पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

प्रार्थीगण 1 ता 3 अपने पिता के खातेदारी एवं कब्जा काश्तकारी भूमि खेत खसरा नं. 210 तादादी 2.25 हैक्टेयर रोही मौजा मेहरासर चाचेरा पर जरीये विरासतन काबिज काश्तकार खातेदार हुए। इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 अपने अपने हिस्से पर निर्विवाद रूप से काबिज काश्तकार है एवं खेत खसरा नं. 209 पर केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1 गुमानसिंह की खातेदारी कब्जा काश्तकारी होने से प्रार्थीगण का उसमें कोई हक हिस्सा नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन का सिद्धांत किसी भी रूप से प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है, बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 जिस प्रकार अंकित है, अस्वीकार है। वादगत कृषि भूमि पुराना खेत खसरा नं. 326 जरीये विभाजन नामान्तरण संख्या 263 के आधार पर प्रार्थीगण के पिता व अप्रार्थी संख्या 1 गुमानसिंह के बहिस्सा बराबर दर्ज एवं तस्दीक हुई थी. जिसके आधार पर प्रार्थीगण के पिता जीवराजसिंह और उनके पश्चात प्रार्थीगण स्वयं के हिस्से में खेत खसरा नं. 210 तादादी 2.2500 हैक्टेयर भूमि व अप्रार्थी सख्या 1 के नाम खसरा न 200 तादादी 22500 हैक्टेयर भूमि दर्ज एवं तस्दीक हुई। दोनों पक्षकार अपने अपने हिस्सा भूमि पर काबिज काश्तकार हैं। अप्राथर्थी संख्या 1 द्वारा अपनी हिस्सा भूमि पर पुख्ता सीव बना रखी है एवं ट्यूबवैल बनाकर विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है एवं पक्का मकान बनाकर रिहायस भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण को उनके खातेदारी खेत खसरा नं 210 तादादी 2:2500 हैक्टेयर के कब्जा काश्त करने में दखलअंदाजी करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रार्थीगण द्वारा इस मद में अंकित सम्पूर्ण तथ्य काल्पनिक व दावे को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए झूठे अंकित करवायें गये हैं। दोनों पक्षकार अपने अपने हिस्सा भूमि पर काबिज काश्तकार हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के साथ अप्रार्थीगण द्वारा लडाई झगडा किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। चुकि प्रार्थीगण का अप्रार्थी की कृषि भूमि खेत खसरा नं. 209 तादादी 2.2500 हैक्टेयर पर कभी कब्जा काश्त स्वामित्व नहीं रहा है, ना ही वर्तमान में है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 को जो स्वयं खसरा नं. 209 तादादी 2.2500 हैक्टेयर का खातेदार कब्जा काश्तकार है, पर चिरस्थाई व्यादेश से वर्जित करवाना कि वह अपनी खातेदारी व कब्जा काश्तकारी भूमि को विकय, हस्तान्तरण, बेय, मुंतकिल, रहन ना करें, विधिविरूद्ध व खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध तथा हास्यास्पद है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन का सिद्धांत व अपूर्णीय क्षति किसी भी रूप से प्रार्थी के पक्ष मे साबित नहीं होता है, बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में होने से उक्त प्रकरण में जारी अस्थाई व्यादेश हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी सं. 1 ने विशेष कथन में अंकित किया कि वादगत सम्पूर्ण कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता जीवराजसिंह व अप्रार्थी संख्या 1 गुमानसिंह के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज थी, लेकिन जमीन की किश्म, लगान एवं उपजाऊ के आधार पर जब खाता विभाजन किया गया तब उक्त सम्पूर्ण वादगत भूमियों में से प्रार्थीगण के पिता जीवराजसिंह व अप्रार्थी संख्या 1 गुमानसिंह द्वारा जरीये विभाजन नामान्तरण संख्या 114 के आधार पर विधिवत रूप से विभाजन कर लिया एवं इस विभाजन के पश्चात दोनों भाई अपने अपने हिस्से पांती में आई भूमि पर काबिज काश्तकार हुए एवं चूंकि उपरोक्त विभाजन करते समय प्रार्थीगण की दादी और अप्रार्थी संख्या 1 की माता जीवित थी ऐसी स्थिति में उनकी सेवा चाकरी करने की गुरेज से खेत खसरा नं. 326 तादादी 17 बीघा 16 बिस्वा भूमि रोही मेहरासर चाचेरा का विभाजन नहीं किया गया और दोनों भाईयों ने यह तय किया कि जब तब हमारी माता जीवित है तब तक उक्त खसरा नं. 326 की भूमि का कब्जा व स्वामित्व उनकी माता के पास रहेगा एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात दोनों भाईयों द्वारा विधिवत रूप से बटवारा कर लिया जावेगा। इस खसरा भूमि पर उनकी माता के जीवित रहने तक जीवराजसिंह का कभी भी कब्जा नहीं रहा एवं माता के स्वर्गवास के पश्चात दोनों भाईयों के द्वारा बहिस्सा बराबर उक्त भूमि का विभाजन कर लिया गया एवं दोंनों भाई उक्त भूमि पर बहिस्सा बराबर काबिज काश्तकार हुए। जीवराजसिंह व गुमानसिंह की माता के स्वर्गवास के पश्चात

अधिकारी
(चूरू)

दोनों भाईयों ने आपसी सहमति से खेत खसरा नं. 326 तादादी 17 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर संयुक्त रूप से खातेदारी व कब्जा काश्तकारी रखी गई एवं इसके पश्चात कालान्तर में दोनों भाईयों द्वारा आपसी सहमति से जरीये विभाजन नामान्तरण संख्या 263 दिनांक 16.10.2001 के आधार पर उक्त भूमि खसरा नं. 326 तादादी 17 बीघा 16 बिस्वा रोही मेहरासर चाचेरा का विधिवत रूप से विभाजन कर लिया। जिसके आधार पर प्रार्थीगण के पिता के नाम उक्त विभाजन नामान्तरण संख्या 263 के आधार पर खसरा नं. 442/326 तादादी 8.18 बीघा बारानी अव्वल वर्तमान खसरा नं. 210 तादादी 2.25 हैक्टेयर रोही मेहरासर चाचेरा में दर्ज एवं तस्दीक हुई एवं इसी नामान्तरण संख्या 263 के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 गुमानसिंह के हिस्से में खेत खसरा नं. 441/326 तादादी 8.18 बीघा बारानी अव्वल वर्तमान खसरा नं. 209 तादादी 2.25 हैक्टेयर भूमि दर्ज एवं तस्दीक हुई। जीवराजसिंह के स्वर्गवास के पश्चात उनके खातेदारी एवं कब्जा काश्तकारी की भूमि खेत खसरा नं. 210 तादादी 2.2500 हैक्टेयर रोही मेहरासर चाचेरा पर प्रार्थीगण बहिस्सा बराबर काबिज काश्तकार हुए एवं कलान्तर में प्रार्थीगण ने भी उक्त खसरा नं. 210 तादादी 2.2500 हैक्टयर भूमि का जरीये विभाजन नामान्तरण संख्या 109 दिनांक 23.12.2021 विभाजन कर लिया एवं इसी विभाजन नामान्तरण संख्या 109 दिनांक 23.12.2021 के परिणामस्वरूप खसरा नं. 576/210 तादादी 0.7500 हैक्टयर भूमि प्रार्थी संख्या 1 भोपालसिंह एवं 577/210 तादादी 0.7500 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 2 भंवरसिंह एवं 578/210 तादादी 0.7500 हैक्टयर भूमि प्रार्थी संख्या 3 राजपालसिंह के नाम दर्ज एवं तस्दीक हुई एवं उपरोक्त विभाजन के फलस्वरूप अपने अपने हिस्से में आई हुई भूमियों में से प्रार्थी संख्या 2 भंवरसिंह द्वारा अपना हिस्सा भूमि खेत खसरा नं. 577/210 तादादी 0.7500 हैक्टेयर रोही मेहरासर चाचेरा को जरीये विक्रय पत्र नामान्तरण संख्या 231 दिनांक 07.06.2024 को ओमप्रकाश जोशी पुत्र रामकुमार जोशी जाति ब्राह्मण निवासी सरदारशहर को विक्रय कर दी एवं प्रार्थी संख्या 3 राजपालसिंह द्वारा अपनी हिस्सा भूमि खेत खसरा नं. 578/210 तादादी 0.7500 हैक्टेयर रोही मेहरासर चाचेरा को जरीये विकय पत्र नामान्तरण संख्या 174 दिनांक 07. 022023 को सावित्री देवी पत्नि जगदीश प्रसाद माली निवासी किसान छात्रावास के सामने, सरदारशहर को विक्रय कर दी। इस प्रकार प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 द्वारा अपने हिस्से में आई हुई सम्पूर्ण वादगत कृषि भूमि को विक्रय करने के पश्चात उक्त भूमि पर उनका कोई हक अधिकार कब्जा काश्त नहीं रहा है. केवल मात्र प्रार्थी संख्या 1 भोपालसिंह अपने हिस्से की कृषि भूगि खेत खसरा नं. 576/210 तादादी 0.7500 हैक्टेयर पर काबिज काश्तकार है। इस प्रकार वर्तमान में खेत खसरा नं. 210 मूल रूप से अस्तित्व में नहीं है. जिसका विभाजन हो चुका है एवं विभाजन के परिणामस्वरूप खसरा नं. 577/210 व 578/210 जरीये विक्रय पत्र खातेदारी हस्तान्तरण हो चुकी है, जिस पर किसी अन्य व्यक्ति क्रमश ओमप्रकाश व सावित्री देवी की खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त विभाजन, बेचान नामान्तरण के तथ्य को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है एवं ना ही वर्तमान खसरा नं. 577/210 व 578/210 के रिकॉर्डेड खातेदारी कमशः ओमप्रकाश व सावित्री देवी को वाद पक्षकार नहीं बनाकर भारी विधिक भूल की है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन का सिद्धांत व अपूर्णीय क्षति किसी भी रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है, बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में होने से उक्त प्रकरण में जारी अस्थाई व्यादेश हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 विधिवत रूप से विभाजन नामान्तरण संख्या 263 दिनांक 16. 10.2001 के आधार पर कृषि भूमि खेत खसरा नं. 209 तादादी 2.2500 हैक्टेयर पर खातेदार कब्जा काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्से में आई हुई उक्त भूमि पर काबिज काश्तकार है तथा अपने हिस्से पर पुख्ता सींव बना रखी है, ट्यूबवैल बना रखा हैं, व्यक्तिगत रूप से विद्युत कनेक्शन ले रखा हैं एवं अपने व अपने मातहतों के रहने के लिए पक्के मकान बना रखा हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन का सिद्धांत व अपूर्णीय क्षति किसी भी रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है, बल्कि

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में होने से उक्त प्रकरण में जारी अस्थाई व्यादेश हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

इसलिए विधि के तीनों सिद्धान्त प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण की बजाय अप्राथीगण के पक्ष में बखूबी साबित है; इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 2 पैरोकार राज को बार–बार अवसर प्रदान करने पर भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब पैरोकार राज बन्द किया गया। पत्रवाली वास्ते बहस मुकर्रर की गई।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थीगण व वकील अप्रार्थी सं. 1 व पैरोकार राज ने बहस के दौरान अर्ज किये कथनों पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख व प्रार्थना पत्र व जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अध्ययन किया गया, प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व अभिलेख की फोटो प्रतियों का अवलोकन किया गया। न्यायालय को प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त पर विचार किया जाता है जो निम्न प्रकार पाये गये है :–

प्रथम दृष्टया मामलाः प्रार्थीगण की दादी और अप्रार्थी संख्या 1 की माता जीवित थी ऐसी स्थिति में उनकी सेवा चाकरी करने की गुरेज से खेत खसरा नं. 326 तादादी 17 बीघा 16 बिस्वा भूमि रोही मेहरासर चाचेरा का विभाजन नहीं किया गया और दोनों भाईयों ने सहमति से उनकी माता के जीवित रहने तक उक्त खसरा नं. 326 की भूमि का कब्जा व स्वामित्व उनकी माता के पास रहेगा एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात दोनों भाईयों द्वारा विधिवत रूप से बंटवारा कर लिया जावेगा। इस खसरा भूमि पर उनकी माता के जीवित रहने तक जीवराजसिंह का कभी भी कब्जा नहीं रहा एवं माता के स्वर्गवास के पश्चात दोनों भाईयों के द्वारा बहिस्सा बराबर उक्त भूमि का विभाजन कर लिया गया एवं दोंनों भाई उक्त भूमि पर बहिस्सा बराबर काबिज काश्तकार हुए। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला किसी भी रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है, बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में बखूबी साबित है।

सुविधा के संतुलन का सिद्धान्तः वादगत कृषि भूमि पुराना खसरा संख्या 326 तादादी 17 बीघा 16 बिस्वा जरीये विभाजन नामान्तरण संख्या 263 दिनांक 16.10.2001 के आधार पर प्रार्थीगण के पिता जीवराजसिंह व अप्रार्थी संख्या 1 गुमानसिंह के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज एवं तस्दीक हुई, इस विभाजन के पश्चात नये खसरा भूमि के रूप में प्रार्थीगण के पिता जीवराजसिंह के खसरा नं. 210 तादादी 2.25 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 1 गुमानसिंह के खसरा नं. 209 तादादी 2.25 हैक्टेयर दर्ज एवं तस्दीक हुई। दोनों भाई अपने अपने हिस्से पर निर्विवाद रूप से काबिज काश्तकार हुए। दोनों भाईयों द्वारा अपने अपने हिस्से भूमि पर निर्विवाद रूप से पुख्ता सींव बनाकर अपना कब्जा ताईद कर रखा था। कालान्तर में प्रार्थीगण के पिता एवं रिकॉर्डेड खातेदार जीवराजसिंह के स्वर्गवास के पश्चात उनके पुत्र प्रार्थीगण 1 ता 3 अपने पिता के खातेदारी एवं कब्जा काश्तकारी भूमि खेत खसरा नं. 210 तादादी 2.25 हैक्टेयर रोही मौजा मेहरासर चाचेरा पर जरीये विरासतन काबिज काश्तकार खातेदार हुए। इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 अपने अपने हिस्से पर निर्विवाद रूप से काबिज काश्तकार है एवं खेत खसरा नं. 209 पर केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1 गुमानसिंह की खातेदारी कब्जा काश्तकारी होने से प्रार्थीगण का उसमें कोई हक हिस्सा नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन का सिद्धांत किसी भी रूप से प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है, बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में होने से सुविधा का संतुलन अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में साबित है।

अपूरणीय क्षति का सिद्धान्तः हस्तगत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा के संतुलन अपने पक्ष में प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 को उनकी हिस्सा भूमि से

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

सुविधा लेने एवं काश्त करने से वंचित करना चाहते है। यदि प्रार्थीगण ऐसा करने में सफल हो जाता है तो अप्रार्थी सं. 1 को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में बखूबी साबित है तथा प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में ही कानूनन माना जाता है।

आदेश

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 एवं सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 39 नियम 01 व 02 के अनुसार अस्थाई व्यादेश प्राप्त करने के लिए उक्त तीनों शर्तें पक्षकार के पक्ष में निर्णित होना जरूरी है इसके अलावा 2013(3) डी.एन.जे.(राज) पेज नम्बर 1006 के अनुसार अस्थाई व्यादेश प्राप्त करने के लिए तीन शर्तें है जो साथ–साथ स्थित होनी चाहिए यदि इनमें से एक का भी अभाव होगा तो व्यादेश प्रदान नहीं होगा उक्त प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धात चूंकि प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाये जाने के कारण वादगत कृषि भूमि ख० नं0 326 तादादी 17 बीधा 16 बिश्वा हाल ख0नं0 209 व 210 रकबा क्रमशः 2.25–2.25 हैक्टेयर, रोही मौजा मेहरासर चाचेरा तहसील सरदारशहर बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है।

दिव्या (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 02/7/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

दिव्या (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)